



प्रेस विज्ञप्ति
24.11.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जम्मू उप आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत लगभग 1 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्ति में मेसर्स विदित हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, सिरमौर, एचपी की पानीपत, हरियाणा में औद्योगिक भूमि शामिल है।

ईडी ने मेसर्स विदित हेल्थकेयर (प्रबंध भागीदार, नीरज भाटिया) निकेत कंसल और अन्य के खिलाफ एन.सी.बी., जम्मू द्वारा मेसर्स विदित हेल्थकेयर से अवैध रूप से कोडीन आधारित कफ सिरप (सी.बी.सी.एस.), "कोक्रेक्स" को मादक पदार्थ/ड्रग के रूप में दुरुपयोग करने के लिए दर्ज किए गए मामले के संबंध में जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि मेसर्स विदित हेल्थकेयर ने मेसर्स एस एस इंडस्ट्रीज, मेसर्स कंसल इंडस्ट्रीज, मेसर्स नौवेता फार्मा, मेसर्स कंसल फार्मास्युटिकल्स और एन.के फार्मास्युटिकल्स (सभी मेसर्स निकेत कंसल आर/ओ दिल्ली द्वारा संचालित और नियंत्रित) को 2018-24 के दौरान लगभग 16.74 करोड़ रुपये के सीबीसीएस की आपूर्ति की थी। ऐसे अवैध रूप से परिवर्तित सीबीसीएस का कुछ हिस्सा रईस अहमद भट्ट आर/ओ श्रीनगर को दिया गया था, जिनसे 14.01.2024 को एनसीबी द्वारा बड़ी मात्रा में सीबीसीएस जब्त किया गया था।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि मेसर्स विदित हेल्थकेयर ने निकेत कंसल द्वारा संचालित संस्थाओं मेसर्स एस एस इंडस्ट्रीज, मेसर्स कंसल इंडस्ट्रीज, मेसर्स नौवेता फार्मा, मेसर्स कंसल फार्मास्युटिकल्स और एन.के फार्मास्युटिकल्स को कोडीन आधारित कफ सिरप (सी.बी.सी.एस.) की बिक्री से अपराध के आगम के रूप में अनुमानित 2.92 करोड़ रुपये (लगभग) का सकल लाभ अर्जित किया।

इस मामले में इससे पहले 13.02.2025 को ईडी ने नीरज भाटिया और निकेत कंसल के परिसरों में तलाशी ली थी, जिसके परिणामस्वरूप नीरज भाटिया के आवासीय परिसर से 32 लाख रुपये की नकदी और 1.61 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए गए थे और जांच को आगे बढ़ाते हुए ईडी ने मेसर्स विदित हेल्थकेयर की पानीपत में लगभग एक करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को भी कुर्क किया है।

आगे की जांच जारी है।